

३१/१०
२०२१

२०२०
००१०६

पंचवली पुरासन गाँवो के खेत अभियान २०२१
के तहत ग्राम पंचायत पाण्डोली या आंचेजित
चिचिर से निस्तारण हेतु लायी गई। हमने
पंचवली का अवलोकन किया। गाँविया ग्राम
पाण्डोली पण्डोली तहसील चित्तौड़गढ़
जिले अपनी स्वतंत्र आराजी संख्या
७५१/१ रकबा ०.०६५, ७५२ रकबा ०.५८ की ता २
रकबा ०.६५५० हे. भूमि की पत्थरगटी कराना
पाहरी है। पंचवली से संलग्न ग्राम पाण्डोली
तहसील चित्तौड़गढ़ की नक्का जमावनी सम्वत्
२०६८-२०७१ अनुसार उक्त आराजीया गाँविया
के नाम स्वतंत्र तहसे से दर्ज रेकार्ड है।

(श्याम सुन्दर विरनोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)



फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ (राज.)

बनाम

वाही अन्तर्गत

म मुकदमा

नं.

सन्

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|----------------|--|--|
| x | <p>इतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 CR Act स्वीकार किया जाकर ग्राम पाण्डोली पठ ० पाण्डोली तहसील चित्तौड़गढ़ स्थित प्रार्थीया की स्वतन्त्र आरजी संख्या 751/1, रकबा 0.064, 752 रकबा 0.58 कीता 2 रकबा 0.6440 हे. भूमि की बिना किसी के कब्जे में दरखलनाही किए सैरलमेन्ट नम्बरे अनुसार पत्थरगढी किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। कमिश्नर शुल्क 500000 रुबर असेरे पाँच सौ रुबर प्रार्थीया वहन करेगी। पालनाबी तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को लिखा जावे कि पक्षकारन को लिखित सूचना देकर नियमानुसार पत्थरगढी की जावे एवं पालना रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करें। पत्रवाली फौजदारी शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p>(श्याम सुन्दर विनोद) सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)</p> | |